कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी,फर्रूखाबाद।

संख्या 7093 /आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक जुलाई , 2014

1– नगर मजिस्ट्रेट
फर्रूखाबाद।
2– जिला पंचायत राज अधिकारी
फर्रूखाबाद।
3– अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत फर्रूखाबाद।

घटियाघाट चौराहे से गंगा पुल व उसके नीचे स्थित घाट सम्पूर्ण क्षेत्र नगर क्षेत्र से बाहर है, जिसमें सफाई की व्यवस्था नगरपालिका परिषद फर्रूखाबाद क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण नहीं कर पा रहा है। जब कि यह क्षेत्र गंगा स्नानार्थियों, श्रद्वालुओं व वर्तमान में श्रावण मास में कांवरियों के अधिक संख्या में आगमन के कारण प्रायः गन्दा रहता है, अतएव सफाई की निरन्तर व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त दृष्टिकोण से प्रत्येक विकास खण्ड से कम से कम तीन–तीन सफाई कर्मचारी इस स्थल पर सम्बद्व करें और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत 04 सफाई कर्मचारी यहां तैनात करें। ये कुल 25 सफाई कर्मचारी एक विशिष्ट जैकिट (धानी कलर) पहनेंगे जो अपर मुख्य अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

2– अपर मुख्य अधिकारी द्वारा घटियाघाट के ऊपर बनाया गया सुलभ शौचालय नितान्त आपत्तिजनक स्थित में है क्यों कि इसका जल मल का बहाव सीधा गंगा नदी में जा रहा है। कृपया तत्काल सोकपिट बनवायें और बाहर निकलने वाले बहाव को रोका जाये। अन्यथा प्रदूषण की स्थिति में संवैधानिक कार्यवाही के लिए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत जिम्मेदार होगें।

3– घाट पर बहुत अधिक अतिक्रमण है। कृपया नगर मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर से सम्पर्क कर सम्पूर्ण अतिक्रमण हटा दिया जाय तथा घाट पर स्थित पुजारियों/पण्डों से अपील की जाय कि वह अतिक्रमण को हतोत्साहित करें और गंगा को स्वच्छ, निर्मल और दर्शनीय स्थल बनाया जाये।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपि::–

1– आयुक्त महोदय कानपुर मण्डल कानपुर की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– जिला सूचना अधिकारी फर्रूखाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।